न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या–03/2018

1. पूर्णाराम पुत्र रूलीचंद जाति लखारा साकिन फेफाना तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र रूलीचंद जाति लखारा साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

उपस्थितः–श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी।

निर्णय दिनांकः–22.06.2023

प्रार्थी पूर्णाराम पुत्र रूलीचंद जाति लखारा साकिन फेफाना तहसील नोहर ने विरुद्ध आदेश पंचायत समिति नोहर मि.स. 20/17 निर्णय दिनांक 24.07.2017 को निरस्त करवाने बाबत निगरानी पेश की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. यह कि अप्रार्थी महेन्द्र नें एक अपील पंचायत समिति नोहर में इस आशय ही पेश की, कि ग्राम पंचायत फैफाना में मेरे पिता का 40x20 फुट का पट्टाशुदा भूखण्ड था, जो बटवारा में मुझे मिला था, लेकिन मेरे भाई पूर्णाराम ने विधि विरुद्ध तरीके से उक्त जगह को साथ में मिलाकर 57.5 X 50 फुट, जो मेरे कब्जा की जगह भी पर विधि विरुद्ध तरीके से पट्टा बना लिया है, जो खारिज किया जाये। अपील पेश होने पर दर्ज कि जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया तथा बाद सुनवाई उक्त पट्टा दिनांक 24.7.2017 को खारिज कर दिया गया जो निम्न आधारों पर निरस्त योग्य है।

   (क) यह कि उक्त आदेश मनमाना व स्वैच्छाचारिता पूर्ण है तथा यह न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता।

   (ख) यह कि अपील में दर्ज विवादित भूखण्ड बुजर्गों के वक्त से ही मेरे को बंटवारा में मिला हुआ था जिस पर मैं 40–50 वर्षों से काबिज हूँ तथा मैने वहां पक्का मकान बना रखा है तथा बिजली, पानी का कनेक्शन भी ले रखा है।

   (ग) यह कि मेरे गाम पंचायत फैलाना में मेरे कब्जा शुद्धा भूखण्ड को नियमितिकरण के तहत पुराने कब्जा शुद्धा भूखण्ड का पट्टा बनाया है। जो बाद जांच पडताल करके बनाया गया है। जहां मै आज भी काबिज हूँ।

22/6/23

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(घ) यह कि अप्रार्थी ने राजनैतिक रंजिशवश उक्त अपील मुझे परेशान करने की नियत से पेश की है क्योंकि वह मुझ से हमेशा लडाई झगडा करता रहता है। मैने इसके व इसके पुत्रों के खिलाफ थाना नोहर में मुकदमा दर्ज करवा दिया था, उसकी रंजिशवश उसने यह अपील पेश की है, जो काबिले खारीजी के है।

(ड़) यह कि उक्त अपील मियाद बाहर भी है तथा ना ही उसके पास कोई ऐसा सबूत था, जिसमें मैंने पट्टे को खारिज करवा सके। बिना किसी आधार के तथा तथ्यों के विपरीत जाकर बिना मौका देखे विधि विरुद्ध तरीके में मेरा पट्टा खारिज किया है, जो अपास्त योग्य है।

(च) यह कि उक्त अपील में बिना मौका देखें अपीलांट के कहने में ही यही बैठकर मनमर्जी से तैयार की गई है। जिसके आधार पर उक्त निर्णय किया गया है, जो निरस्त योग्य है।

(छ) यह कि उक्त विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। इस पर सदा से प्रार्थी ही काबिज चला आ रहा है।

(ज) यह कि अपीलकृत आदेश दिनांक 24.07.2017 को पारित किया गया है। जिसका ज्ञान प्रार्थी को दिनांक 05.01.18 को हुआ। जब सरपंच ने मेरे मकान तोड़ने की धमकी दे दी तथा बताया कि आपका पट्टा निरस्त हो गया है तब बिना किसी देरी के नकल लेकर यह निगरानी पेश कर रहा हूँ, जो ज्ञान में अन्दर मियाद है।

अतः निगरानी पेश कर के निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 24.07.2017 को निरस्त किया जावे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से श्री महेशचन्द्र शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर से रिकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत निगरानी पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 24.07.2022 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रार्थी महेन्द्र एंव अप्रार्थी पूर्णाराम दोनों भाई है प्रार्थी महेन्द्र को पुश्तैनी भूखण्ड 40 x 20 पिता द्वारा घरेलू बंटवारा मे दिया था। अप्रार्थी पूर्णाराम ने तथ्य छुपाते हुये पट्टा बनवा लिया। पंचायत समिति ने बिना सुने 57.5 x 50 का पूरा पट्टा खारिज कर दिया। अप्रार्थी द्वारा तथ्य छुपाये गये है एंव कोई भी दस्तावेज अपील की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। रूलीचंद के 07 वारिस है, जिन्हे अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया। पंचायत समिति नोहर में प्रस्तुत अपील म्याद बाहर थी। उक्त भूखण्ड पर मेरा कब्जा है, जिसके दस्तावेज संलग्न है। पंचायत

27/6/23
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

समिति नोहर में प्रस्तुत अपील में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये। मेरे पिता के नाम का भूखण्ड आज भी खाली है। अतः मेरा पट्टा बहाल रखा जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रस्तुत निगरानी म्याद के बिंदु पर निर्णय होने के 07 माह बाद न्यायालय हाजा में निगरानी पेश की गई लेकिन निगरानी की म्याद नहीं होती है। निगरानी पंचायती राज अधिनियम पर आधारित होती है। अपील मे कहा गया कि दिनांक 10.01.2017 को 57.5 X 50 फुट का पट्टा बनवा लिया। पत्रावली 11.01.2017 को जमा करवाई। मेरा 40 X 20 फुट का प्लॉट था। उसी पट्टे पर पट्टा बना दिया गया, जो कि मेरे पिता का है। मातहत अदालत ने मौका रिपोर्ट मंगवाई और पट्टा खारिज कर दिया। प्रस्तुत फोटो से पता नहीं चलता कि पट्टा कहां का है जहां मकान है। मौका निरीक्षण में मेरी बात को माना गया है। पट्टे पर पट्टा मानते हुये खारिज किया है। बिना कब्जे के पट्टा बना है। अतः अपील सही निर्णीत हुई है। अतः निगरानी खारिज की जावे। रूलीचंद के वारिसो को पक्षकार बनानें की आवश्यकता नही है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी पास पट्टे के दस्तावेज ही नही है। पिता के नाम का पट्टा भी नहीं है। केवल जुबानी तथ्य है। रूलीचंद का पट्टा मात्र 20 X 10 फुट का है।

हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया एंवम न्यायालय हाजा की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रूलीचंद व पूर्णराम के नाम से पूर्व में जारी पट्टों का अवलोकन किया गया। दोनों में रूलीचंद व पूर्णराम को एक दूसरे का पड़ौसी बताया गया है एंव दोनों का 20 X 10 का पट्टा जारी है। निगरानीकर्ता ने बंटवाड़े में भूखण्ड प्राप्त होनें संबधी कथन किया गया है परन्तु किसी पारिवारिक बंटवाड़े का कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है जिससे बंटवाड़े के कथन की पुष्टि नहीं होती है। रूलीचंद के पट्टे को खारिज किए जाने या हस्तांतरण होनें संबधी कोई तथ्य भी इस पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूर्णराम को किन तथ्यों के आधार पर 57.5 X 55 का पट्टा जारी किया गया, पूर्णराम के पास पूर्व में 20 X 10 के पट्टे के अतिरिक्त भूमि कहां से सम्मलित हुई यह सिद्ध नहीं हो पाया है। सभी तथ्यों को देखनें से लगता है कि पूर्णराम को पट्टा जारी करते समय सम्पूर्ण तथ्यों को नहीं देखा गया। पंचायत समिति नोहर की स्थापना एंव स्थाई समिति ने पत्रावली का निस्तारण करते हुए नोटिस जारी किए परन्तु मौका निरीक्षण की कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं है और न ही मौका निरीक्षण हेतू नोटिस जारी होनें और प्रार्थीगणों की उपस्थिति दिखाने वाले कोई दस्तावेज संलग्न है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में समस्त विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णय पारित नहीं किया है। अतः यह प्रश्नगत निर्णय

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

दिनांक 24.07.2017 खारिज योग्य होनें से खारिज किया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है और पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ लौटाई जाती है कि सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः आदेश पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावें। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 22.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/23

(चंचल वर्मा, आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)